राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
National Commission for Homoeopathy
Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan 61-65, Institutional Area, Opp 'D' Block Janakpuri, New Delhi-110058

Ph.: 011-28522906 | Email id: secy-nch@gov.in | Website: www.nch.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

फा. सं. EH-50/9/2025-NCH/ 18710-18717

दिनांक : 12 NOV 2026

सार्वजनिक सूचना

सेवा में,

1. समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के होम्योपैथी/आयुष आयुक्त/निदेशक।
2. समस्त होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशक/डीन/प्राचार्य।

विषय: इलेक्ट्रोपैथी एवं होम्योपैथी की पृथक विधिक एवं चिकित्सकीय स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के संज्ञान में यह बात आई है कि आम जनता, चिकित्सकों एवं चिकित्सा संस्थानों के बीच इलेक्ट्रोपैथी एवं होम्योपैथी को लेकर भ्रम एवं गलत धारणाएँ विद्यमान हैं तथा प्रायः दोनों को एक ही चिकित्सा पद्धति का हिस्सा समझ लिया जाता है।

2. इस संबंध में एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी नहीं है और न ही यह होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की कोई शाखा, विशेषज्ञता अथवा हिस्सा है। दोनों अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियाँ हैं तथा इन्हें एक समान या एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली चिकित्सा पद्धतियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

3. तदनुसार, सभी संबंधितों के संज्ञान में निम्नलिखित निर्देश लाए जाते हैं:

(i) कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान इलेक्ट्रोपैथी को होम्योपैथी की शाखा, विशेषज्ञता अथवा उप-शाखा के रूप में प्रस्तुत या प्रचारित नहीं करेगा।

(ii) इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक, लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत विधिवत अर्हताप्राप्त एवं पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए आरक्षित व्यावसायिक उपाधियों, नाम के आगे लगाए जाने वाले उपसर्गों अथवा वैधानिक पंजीकरण संबंधी विवरणों का उपयोग नहीं करेंगे।

(iii) लेक्ट्रोपैथी से संबंधित शैक्षणिक केंद्रों, क्लीनिकों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साइनबोर्ड, विज्ञापनों, प्रचार-प्रसार सामग्री तथा अन्य सार्वजनिक सूचनाओं में संबंधित चिकित्सा पद्धति की स्पष्ट रूप से पहचान दर्शाई जाए, ताकि आम जनता के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम अथवा भ्रामक प्रस्तुतीकरण उत्पन्न न हो।

4. सभी संबंधित संस्थानों, चिकित्सकों एवं हितधारकों को उपर्युक्त स्पष्टीकरण का संज्ञान लेने तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार उचित अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

यह सार्वजनिक सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

भवदीय,

रजत चट्टोपाध्याय

(डॉ. रजत चट्टोपाध्याय)
प्रभारी सचिव, NCH

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ प्रेषित:

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110023।
2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, जनकपुरी, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, जनकपुरी, नई दिल्ली।
4. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट (प्रसार हेतु)।
6. गार्ड फाइल।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
National Commission for Homoeopathy

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan 61-65, Institutional Area, Opp 'D' Block Janakpuri, New Delhi-110058

Ph.: 011-28522906 | Email id: secy-nch@gov.in | Website: www.nch.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

F. No. **EH-50/9/2025-NCH** / 18710-18717 Dated : 12 NOV 2026

PUBLIC NOTICE

To,

1. The Commissioner/Director of Homoeopathy/Ayush, All States/UTs
2. The Directors/Deans/Principals of All Homeopathic Medical Colleges

Subject: Clarification Regarding the Distinct Legal and Medical Status of Electropathy vis-à-vis Homoeopathy.

It has come to the notice of the National Commission for Homoeopathy (NCH) that confusion and misconceptions exist among the general public, practitioners and medical institutions regarding Electropathy and Homoeopathy, with the two systems often being incorrectly perceived as belonging to the same system of medicine.

2. In this regard, it is hereby clarified that **Electropathy is not Homoeopathy and does not constitute a branch, Speciality or part of the Homoeopathic system of medicine.** The two are distinct systems and should not be represented as being identical or interchangeable.

3. Accordingly, the following directions are brought to the notice of all concerned:

i. No individual or institution shall represent or advertise Electropathy as a branch, speciality or subset of Homoeopathy.
ii. Practitioners of Electropathy shall not use the professional titles, prefixes or statutory registration particulars reserved for duly qualified and registered Homoeopathic practitioners under the applicable laws and regulations.
iii. Educational centers, clinics and other establishments associated with Electropathy shall ensure that their signboards, advertisements, promotional materials and other public disclosures clearly identify the system being practiced or taught, so as to avoid any confusion or misleading representation among the general public.

4.All concerned institutions, practitioners and stakeholders are advised to take note of the above clarification and ensure appropriate compliance with the applicable laws and regulations.

This public notice is issued with the approval of the Competent Authority.

Your sincerely,

Rajat Chattopadhyay

(Dr. Rajat Chattopadhyay)
Secretary In-charge, NCH

Copy for information to :

1. The Secretary, Ministry of AYUSH, Ayush Bhawan, 'B' Block , GPO Complex, New Delhi-110023
2. The Chairperson, National Commission for Homoeopathy, Janakpuri, New Delhi
3. All President/Members, NCH, Janakpuri, New Delhi
4. The Secretary, NCISM, Punjabi Bagh (West), New Delhi
5. NCH , Website (For Circulation)
6. Guard File